

न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

मध्यस्थ वाद संख्या 22/2023

श्रीमती निर्मला शर्मा बनाम शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लि. और अन्य

दिनांक: 20-08-2025

वाद पुकारा गया। आवेदक एवं विपक्षी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 20 ग

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 20 ग विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कापी ऑफ एम्प्लाईमेंट एग्रीमेंट को अभिलेख पर लेने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 20 ग तथा उसके साथ संलग्न दस्तावेज कागज संख्या 21 ग पर आपत्ति कागज संख्या 23 ग दाखिल की गई है, किन्तु सुनवाई के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि आपत्ति कागज संख्या 23 ग आवेदक द्वारा विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 20 ग के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं की गयी है, बल्कि उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के विरुद्ध है तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 20 ग पर यह उल्लेख किया गया है कि "The document may be taken on record. They are not admitted."

अतः विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 20 ग स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 20 ग के साथ संलग्न कापी ऑफ एम्प्लाईमेंट एग्रीमेंट को अभिलेख पर लिया जाता है। आवेदक विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कापी ऑफ एम्प्लाईमेंट एग्रीमेंट के खण्डन में यदि कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहे तो नियत तिथि तक प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दिनांक 18-09-2025 को प्रार्थना पत्र कागज संख्या 18 ग के निस्तारण हेतु पेश हो।

पीठासीन अधिकारी

वाणिज्यिक न्यायालय सं० 1, मेरठ।